



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 42,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०-649/09 धारा-302,394,201,411 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.भारत सिंह पुत्र देवीलाल 2.रुकसार अहमद पुत्र निसार अहमद नि०गण ऐथा, थाना कोटरा, जिला जालौन 3.सोनू उर्फ संदीप दुबे पुत्र रवीन्द्र कुमार दुबे नि० रामनगर थाना उरई, जिला जालौन को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹14,000-14,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीडीसी सुभाष कुमार
श्रीवास्तव



विवेचक-
निरी० विवेकानन्द
तिवारी



पैरोकार- थाना राठ
का० प्रदीप भार्गव